केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/85 दिनांक: 04.05.2016
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00084
CICOM/R/2016/00104

अपीलकर्ता : श्री बिमल शंकर विश्वकर्मा,
सदर बाजार, बड़ी काली नं. 1 रोड,
पो0 – जमालपुर, जिला – मुंगेर,
बिहार.

निर्णय की तारीख : 04.05.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	08.01.2016
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	04.02.2016
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री प्रकाश
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	18.02.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	115784/24.02.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	88/25.02.2016

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से संबंधित सूचना रेलवे कारखाना, जमालपुर के जन सूचना अधिकारी से मांग कर अपीलकर्ता को उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया था, जिसके प्रतिउत्तर में श्री प्रकाश, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय द्वारा दिनांक 04.02.2016 को सूचना उपलब्ध करा दी गई है ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से रेलवे कारखाना, जमालपुर से उनके ट्रांसफर एव ट्रांसफर आवेदन से संबंधित कागजात की सत्यापित प्रतिलिपि की मांग की थी, इस संदर्भ में उन्होंने केन्द्रीय सूचना आयोग में द्वितीय अपील तथा शिकायत भी दर्ज करा चुके हैं, जिनकी सुनवाई भी हो चुकी है । सुनवाई के दौरान रेलवे जमालपुर के जन सूचना अधिकारी कहते हैं कि उन्हें वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है और अपीलकर्ता कहते हैं कि उन्हें वो सूचना प्रदान नहीं की गई है जो वो चाहते हैं । इस संदर्भ में द्वितीय अपील आदेश सं. **CIC/VS/A/2014/000258** दिनांक 10.07.2015 द्वारा जन सूचना अधिकारी, रेलवे जमालपुर को अपीलकर्ता द्वारा संबंधित फाइल का निरीक्षण करवाने का निर्देश भी जारी किया जा चुका है । अपीलकर्ता ने यह उल्लेख नहीं किया है कि उन्होंने रेलवे जमालपुर में संबंधित फाइल का निरीक्षण किया या नहीं, तत्पश्चात उन्होंने केन्द्रीय सूचना आयोग में आर.टी.आई. आवेदन दाखिल कर संबंधित सूचना रेलवे कारखाना, जमालपुर के जन सूचना अधिकारी से मांग कर अपीलकर्ता को उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया । इस संदर्भ में श्री प्रकाश, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है तथा अधोहस्ताक्षरी इससे पूर्णतः सहमत हैं ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
10 MAY 2016
Initials

C. I. C./के० सू० आ०
ISSUED
10 MAY 2016
D No.
Initials

--2/-

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

अधोहस्ताक्षरी (प्रथम अपीलीय अधिकारी) के पास कार्य की अधिकता एवं हिंदी टंकण जानने वाले कार्मिक की अनुपलब्धता के कारण अपील के निपटान में हुई देरी के लिए खेद है ।

अचला सिन्हा

(अचला सिन्हा)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त – ए.बी. कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

10/5/16

8/c